

**झारखण्ड राजकार  
जल संसाधन विभाग**

पत्रांक :— 03 / विविध-06-235/18 ..... ७/३ ..... /राँची, दिनांक : १०/१२/१९,

—: आदेश :—

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-5207 / वि० दिनांक 14.08.2002 एवं 1746 / वि० दिनांक--12.08.2011 में निहित ग्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 08.01.2019 को विभागीय स्त्रीनिंग समिति की सम्पन्न बैठक में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्न सारणी के रूपमें अंकित कर्नीय अभियंताओं को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत रत्ना-02 में अंकित कर्नीय अभियंताओं को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत रत्ना-04 एवं रत्ना-05 में वर्णित तिथि से प्रथग एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाग ग्रम्सः वेतनगान् रु. 6500-10,500 एवं रु. 10,000-15,200 में स्वीकृत किया जाता है : —

क्रमांक	कर्नीय अभियंता का नाम/ आई.डी. कोड/ पदस्थापन स्थान/गृह जिला/ जना तिथि	नियुक्ति की तिथि	ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत प्रथग वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (वेतनगान् 6500-10500)	ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (वेतनगान् 10000-15200)	आयुवित्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री शाधाकर्ता साह/ रा० नि० कर्नीय अभियंता/ ग्रामीण विकास विभाग प्रांडल, लातेहार/गधुवनी/ 16.10.1951	02.02.79	09.08.99	02.02.03	
2	श्री विजय प्रसाद/ जो०-5604 A / ग्रा० वि० वि० प्र०, लातेहार/ अ० रामावाद/ 01.08.52 / रा० नि०-31.08.12	02.02.79	09.08.99	02.02.03	
3	श्री शमनाथ प्रसाद/ जो०-6743 जलपथ प्रमंडल सं०-01, सिंगडेगा/ गोपालगंज/ 03.06.54 (रांवानिवृत)	21.02.79	09.08.99	21.02.03	
4	श्री गहेश पाण्डेय/ जो०-3649/ रामाई प्रमंडल सं०-02, जामताडा/ वैशाली (घिहार)/ 06.07.1947 (रांवानिवृत)	13.11.73	09.08.99	09.08.99	
5	श्री प्रशांत नन्दी/ रुपांकण प्रमंडल सं०-02, राँची/राँची/ 14.01.1942 (रांवानिवृत)	21.01.66	09.08.99	09.08.99	
6	श्री रणजीत कुमार/ जो०-8077/ जलपथ प्रमंडल, वरही/ लालीराराय/ 08.11.1960	11.03.87	09.08.99	—	

राज्य सरकार

1	2	3	4	5	6
7	श्री परमात्मा निंद्रा/ ल०-6216/ खरकई वॉर्ड प्रसंडल सं०-02, इच्छा चालियामा/भोजपुर/02.01.55 (सेवानिवृत्त)	31.01.79	09.08.99	31.01.03	

- (ख) यह योजना दिनांक 09.08.99 से प्रभावी है किन्तु इसके अंतर्गत वैवारिक वित्तीय लाभ दिनांक 15.11.2000 से देय होगा।
- (ग) वित्तीय उन्नयन के तहत देय वित्तीय लाभ, उन्नयन के फलस्वरूप निर्धारित घेतन का योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) से सत्यापनोपरांत ही देय होगा।
- (घ) उपर्युक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नयन में अगर कोई त्रुटि पायी जाती है अथवा मंत्रिमंडल निगरानी या किसी अन्य स्रात से निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होता है तो स्वीकृत लाभ को रद्द/संबंधित कर भुगतान की गई राशि की एक मुश्त वसूली कर ली जायेगी और इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा। इस निमित्त संवंधी नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्तीय लाभ प्रदान करने के पूर्व संबंधित कर्मी से Under taking लेना सुनिश्चित करेंगे।
- (ङ) प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं अपर गुरुत्व सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

₹/-

(हेमन्त कुमार भवता)  
संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- सहालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेपित।

₹/-

(हेमन्त कुमार भवता)  
संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- संबंधित कोपागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेपित।

₹/-

(हेमन्त कुमार भवता)  
संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :- 713

रॉची, दिनांक :- 20/02/19

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित सभी मुख्य अभियंता/संबंधित सभी अधीक्षण अभियंता/अवर सचिव (प्रवंधन)/उप सचिव (प्रवंधन)/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता/प्रधान सचिव, पर्मांग विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, रॉची/संबंधित सभी कर्नाटक अभियंता/प्रशाखा-02 एवं 08/वेव इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/वायोडाटा कोपांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेपित।

२०२४-१४-२०१९

(हेमन्त कुमार भवता)  
संयुक्त सचिव (प्र०)